

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
-:: अधिसूचना ::-

सं० सं०-17/विविध 01-157/2025

पटना, दिनांक :- / / 2026

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के निम्नांकित प्राध्यापकों को अधिसूचना निर्गत की तिथि से अगले आदेश तक स्तम्भ-04 में अंकित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है:-

क्र० सं०	नाम	पूर्व धारित पद, विभाग एवं चिकित्सा संस्थान का नाम	पद/पदस्थापन संस्थान
1	2	3	4
1	डा० उमेश चन्द्र झा	प्राध्यापक, औषधि विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा।	प्राचार्य, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा।
2	डा० जगदीश चन्द्र	प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, लहेरियासराय, दरभंगा।	अधीक्षक, दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा।

2. अधिसूचित प्राचार्य/अधीक्षक को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-9262/वि०, दिनांक-01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-84 के अंतर्गत उक्त संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।

3. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को निदेशित किया जाता है कि वे संबंधित को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।

4. प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर अधिसूचित चिकित्सक शिक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में नहीं रहेंगे।

5. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश यदि कोई हो तो, इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

04(17)
01/01/2026

12

ह०/-
(हिमांशु शर्मा)
सरकार के विशेष सचिव।

सं० सं०- 17/विविध 01-157/2025-04(17)

पटना, दिनांक :-01/01/2026

- प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17)/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01, 02, 03, 08, 09, एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


01/01/26
सरकार के विशेष सचिव।